रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)-78

REGISTERED No. D-(D)--78

21 JUN 19

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 20, 1978 (वैशाख 30, 1900)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 20, 1978 (VAISAKHA 30, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	511
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	669
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	471
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (I)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1035
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (II)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को (छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	1301
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	115
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च मंत्रालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	2775
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	395
भाग III—खण्ड 3— मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाए, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1161
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	85

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 511

PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 669

PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders, and Resolutions issued by the Ministry of Defence .. .. —

PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence 471

PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations .. .. —

PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .. .. —

PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories .. 1035

PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other an the Administrations of Union Territories) .. 1301

PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .. 115

PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. 2775

PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .. 395

PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .. .. —

PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 1161

PART IV—Advertisements and Notices by Private individuals and Private Bodies 85

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकलपों से सम्बाग्धत अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नियम

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 मई 1978

सं० 12/2/78-के० से०-II—कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1978 में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग के ग्रेड-ग, सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी 'ग' के लिये प्रवर सूची में सम्मिलित करने के लिये सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किये जाते हैं।

2. प्रवर सूची में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में बता दी जाएगी।

भरी जाने वाली रिक्तियों में, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण किये जायेंगे।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है:—

*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

*संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950

*संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

*संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

(अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 द्वारा संशोधित किये गए के अनुसार)।

*संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

*संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959

*संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित, जाति, आदेश 1962

*संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962

*संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

*संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967

*संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

*संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति, आदेश, 1968

*संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 और अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित पद्धति के अनुसार ही ली जाएगी।

किस तारीख और किन किन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी, इसका निर्धारण आयोग करेगा।

4. पात्रता की शर्तें: केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी 'घ' या श्रेणी III का नियमित रूप से नियुक्त कोई भी ऐसा स्थाई अथवा अस्थाई अधिकारी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, परीक्षा में बैठने और अपनी सेवा की रिक्तियों के लिये प्रतियोगिता करने का पात्र होगा अर्थात्, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ के आशुलिपिक उस सेवा के ग्रेड-ग की रिक्तियों के पात्र होंगे और भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-III के आशुलिपिक भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग के ग्रेड-II की रिक्तियों के लिये पात्र होंगे तथा सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ के आशुलिपिक सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग की रिक्तियों के लिये पात्र होंगे। और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी 'घ' के आशुलिपिक रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी 'ग' की रिक्तियों के लिये पात्र होंगे।

(क) सेवा की अवधि:—इस सेवा के ग्रेड-घ या ग्रेड-III में निर्णायक तारीख, अर्थात् 1-1-1978 को उसकी कम से कम तीन वर्ष की अनुमोदित और निरन्तर सेवा होनी चाहिए।

टिप्पणी:—ग्रेड-घ के वे अधिकारी जो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हों, और जिनका केन्द्रीय सचिवालय, आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ या ग्रेड-III/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में धारणाधिकार है, यदि अन्यथा पात्र हों, तो इस परीक्षा में बैठ सकेंगे।

परन्तु यदि वह केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी 'घ'/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी 'घ'/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक उप-संवर्ग की श्रेणी-III /रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी 'घ' में प्रतियोगितात्मक परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा भी शामिल है, के परिणाम पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम तीन वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिए और उस श्रेणी में उसको कम से कम दो वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा होनी चाहिए।

(ख) आयु :—उसकी आयु पहली जनवरी, 1978 को 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् वह 2 जनवरी, 1928 से पहले पैदा नहीं हुआ हो।

(ग) उपरिलिखित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले) प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति का हो और बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ हो और पहली जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले) प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्टूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964, को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्टूबर 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(vi) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार, जाम्बिया, मलावी, जायरे और इथियोपिया से प्रव्रजित) हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(ix) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(x) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक,

(xi) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(xii) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों, और

(xiii) यदि उम्मीदवार वियतनाम से भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा वह भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया है, तो उसके मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक।

उपर्युक्त बातों के अलावा ऊपर निर्धारित आयुसीमा में और किसी हालत में छूट नहीं दी जाएगी।

(घ) आशुलिपिक परीक्षा :—जब तक कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ/ग्रेड-III में स्थायीकरण, या बने रहने के प्रयोजन के लिये आयोग की आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न मिल गई हो, उसने परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या उससे पूर्व यह परीक्षा उत्तीर्ण करली होनी चाहिए।

टिप्पणी :—ग्रेड-घ या ग्रेड-III के जो आशुलिपिक सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं और जिनका इस सेवा के ग्रेड-घ या ग्रेड-III में धारणाधिकार है, यदि अन्यथा पात्र हों, वे परीक्षा में सम्मिलित किये जाने के पात्र होंगे तथा यह बात ग्रेड-घ/ग्रेड-III के उन आशुलिपिकों पर लागू नहीं होती जो स्थानान्तरित रूप में संवर्ग बाह्य पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गए हों और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ/ग्रेड-III में धारणाधिकार न रखते हों।

5. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

6. यदि किसी उम्मीदवार के पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न होगा तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।

7. उम्मीदवार को आयोग की विज्ञप्ति के पैरा 5 में निर्धारित शुल्क देना होगा।

8. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा अपराधी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये किसी भी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाए हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है,

तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उसी परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए—

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये,

(ii) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी भी नौकरी से खारिज किया जा सकता है, और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

9. परीक्षा के पश्चात् प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग द्वारा उनको योग्यता क्रम से चार अलग सूचियां बनाई जाएगी और उसी क्रम के अनुसार आयोग उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारों को सफलता प्राप्त समझेगा, उनके नाम अपेक्षित संख्या तक, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग, सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिये सिफारिश करेगा।

परन्तु यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिये केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उपसंवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक समान मानक के आधार पर रिक्तियां न भरी जा सकें तो आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिये मानक में ढील देकर सिफारिश की जा सकती है चाहे परीक्षा की योग्यता सूची में उनका कोई भी रैंक क्यों न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप-संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग को चयन सूची में शामिल करने के लिये योग्य हों।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन)। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप-संवर्ग के ग्रेड-ग/ग्रेड-II, सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग की प्रवरण सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किये जाएं, इसका निर्णय करने के लिये सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिये कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में दिए गए निष्पादन के आधार पर उसका नाम प्रवरण सूची में शामिल किया ही जाए।

10. हर एक उम्मीदवार के परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, उसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

11. परीक्षा में सफलता से चयन का अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि संवर्ग प्राधिकारी, ऐसी छानबीन के बाद जो आवश्यक समझी जाए, संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार, सेवा में अपने चरित्र के विचार से, चयन के लिये सब प्रकार से उपयुक्त है।

12. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन-पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग, सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा या रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अपने पद से त्यागपत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवाएं उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हों या किसी निःसंवर्गीय पद या दूसरी सेवा में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग के ग्रेड-III या सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के या रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ में धारणाधिकारी न हो, वह इस परीक्षा में परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

तथापित यह ग्रेड-घ /ग्रेड-III के उन आशुलिपिकों पर लागू नहीं होगा, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति के रूप में नियुक्त किया जा चुका हो।

के० बी० नायर, अवर सचिव

परिशिष्ट

लिखित परीक्षा के विषय, तथा प्रत्येक विषय के लिये दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

भाग क—लिखित परीक्षा

विषय	दिया गया समय	पूर्णांक
(i) सामान्य अंग्रेजी	1½ घंटे	50
(ii) निबंध	1½ घंटे	50
(iii) सामान्य ज्ञान	3 घंटे	100

भाग—ख—हिन्दी या अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षा (लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों के लिये) 200 अंक

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि नोट टंकण मशीन से लिपि-यंतरित करने होंगे, और इस प्रयोजन के लिये उन्हें अपनी मशीन लानी होंगी।

भाग—ग—ऐसे उम्मीदवारों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन, जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णीत किये जाएंगे, अधिकतम 100 अंक।

2. लिखित परीक्षा के लिये पाठ्य विवरण तथा आशुलिपि की परीक्षाओं की योजना इस परिशिष्ट की संलग्न अनुसूची में दिए गए के अनुसार होगी।

3. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र (II) निबन्ध और (III) सामान्य ज्ञान का उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने की छूट है और उपर्युक्त दोनों प्रश्न-पत्रों के लिये एक ही माध्यम (अर्थात् हिन्दी या अंग्रेजी) को चुनना होगा। जो उम्मीदवार इन दोनों प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी में लिखने का विकल्प लेंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी केवल हिन्दी में ही देनी होगी और जो उम्मीदवार प्रश्न पत्रों को अंग्रेजी में लिखने का विकल्प लेंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी केवल अंग्रेजी में ही देनी होगी। सभी उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र (i) सामान्य अंग्रेजी का उत्तर अंग्रेजी में देना होगा।

टिप्पणी 1 :—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में (II) निबन्ध तथा (III) सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों का उत्तर तथा आशुलिपि की परीक्षाओं में हिन्दी में लिखने के इच्छुक हों, मैं यह विकल्प आवेदन पत्र के कालम 6 में लिखें, अन्यथा यह माना जाएगा कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि की परीक्षाएं अंग्रेजी में लिखेगा।

एक बार का विकल्प अंतिम समझा जाएगा ,और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 2 :—ऐसे उम्मीदवारों को अपनी नियुक्ति के बाद जो आशुलिपि की परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प लेंगे, अंग्रेजी आशुलिपि और जो आशुलिपि की परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि आवश्यक रूप में सीखनी पड़ेगी।

टिप्पणी 3 :—जो उम्मीदवार उपर्युक्त पैरा 3 के अनुसार विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में परीक्षा देना चाहते हैं, और (ii) निबन्ध तथा (iii) सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों का उत्तर तथा आशुलिपि की परीक्षाएं हिन्दी में लिखना चाहते हैं, उन्हें अपने निजी व्यय पर आशुलिपि की परीक्षाएं देने के लिये विदेश में किसी ऐसे भारतीय मिशनों में जहां ऐसी परीक्षाएं लेने के आवश्यक प्रबन्ध हों, जाना पड़ सकता है।

टिप्पणी 4 :—उम्मीदवार ने जिस भाषा का विकल्प दिया है उसके अलावा अन्य किसी भाषा में उत्तर लिखने अथवा आशुलिपि की परीक्षा देने पर कोई मान्यता नहीं दी जाएगी।

4. जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे वे 100 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से क्रम में ऊपर होंगे। प्रत्येक वर्ग में उम्मीदवारों की प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गये कुल अंकों के अनुसार पारस्परिक प्रवरता अनुसार रखा जाएगा [निम्नलिखित अनुसूची का भाग (ख) देखें]।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिये अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी या सभी विषयों में अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित करेगा।

7. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपिक परीक्षा के लिये बुलाया जाएगा जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किये गये न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे।

8. केवल सतही ज्ञान के लिये कोई अंक नहीं दिये जाएंगे।

9. अस्पष्ट लिखावट के कारण, लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत अंक तक काट लिये जायेंगे।

10. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेषतया लाभ दिया जाएगा कि भावाभिव्यक्ति आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई हो।

अनुसूची

लिखित परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण

(भाग—क)

टिप्पणी :—भाग 'क' के प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की 'मैट्रीकुलेशन' परीक्षा का होता है।

सामान्य अंग्रेजी :—यह प्रश्न पत्र इस रूप से तैयार किया जाएगा, जिससे उम्मीदवारों के अंग्रेजी व्याकरण और निबन्ध रचना के ज्ञान को तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध अंग्रेजी लिखने की उनकी योग्यता की जांच हो जाए। अंक देते समय वाक्य विन्यास/सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा कौशल को ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रश्न पत्र में निबन्ध लेखन, सार लेखन मसौदा लेखन मुहावरों का शुद्ध प्रयोग आसान मुहावरों और उपसर्ग (प्रोपोजीशन) डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आदि शामिल किए जा सकते हैं।

निबन्ध :—कई निर्धारित विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना होगा।

सामान्य ज्ञान :—निम्नलिखित विषयों का कुछ ज्ञान :—

भारत का संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल, सामान्य घटनाएं, सामान्य विज्ञान तथा दिन प्रति दिन नजर आने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए। उम्मीदवारों के उत्तर से यह प्रकट होना चाहिए कि उन्होंने प्रश्नों को अच्छी तरह समझा है। उनके उत्तरों से किसी पाठ्य-पुस्तक के ब्यौरेवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती है।

भाग—ख

आशुलिपिक परीक्षाओं की योजना

अंग्रेजी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होंगी, एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिये और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिये जो उम्मीदवारों को क्रमशः 45 तथा 50 मिनटों में लिप्यंतर करनी होगी।

हिन्दी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होंगी, एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिये और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिये जो उम्मीदवारों को क्रमशः 60 तथा 65 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे।

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 1978

सं० इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या डी० सी०एच०/ए०आई०एच० एफ० एम०/77 दिनांक 6 दिसम्बर, 1977 में कहा गया था कि अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लि० बम्बई की वर्तमान कार्य प्रणाली के अध्ययन के लिये नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री के० नारायण की अध्यक्षता में गठित की गई समिति अपना प्रतिवेदन 31 मार्च, 1978 तक प्रस्तुत कर देगी।

अब यह विनिश्चय किया गया है कि समिति की इस अवधि को 30 जून, 1978 तक बढ़ा दिया जाये।

दौलत राम, उप-सचिव

पैट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 1978

संकल्प

सं० क्यू०-30021/8/78-वितरण —भारत सरकार ने 'पैट्रोलियम उत्पादों की पूर्ति और उत्पादन' पर सलाह देने के लिये निम्नलिखित रूप में एक समिति गठित करने का निर्णय किया है :

2. कार्य

1 पैट्रोलियम उत्पादों की सामान्य उपलब्धता की समीक्षा करना।

2 पैट्रोलियम उत्पादों के वितरण सम्बन्धी प्रबन्धों और तेल कम्पनियों की विपणन व्यवस्था के समन्वित विस्तार से संबंधित नीति का पुनरीक्षण करना।

3 पैट्रोलियम उत्पादों में कदाचार और मिलावट के विरुद्ध सुरक्षित उपायों पर विचार करना।

4 पैट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण और अधिक दक्षतापूर्वक उपयोग से संबंधित बेसिक पहलुओं की जांच करना।

3 (क) संरचना

(क) अध्यक्ष.....पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री

(ख) सरकारी सदस्य:—

1 सचिव, पैट्रोलियम विभाग।

2 सदस्य, (यातायात) रेलवे बोर्ड।

3 सचिव, योजना आयोग।

4 सचिव, जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय

5. सचिव, सिविल सप्लाई विभाग।

6. सचिव, तकनीकी विकास।

(ग) गैर-सरकारी सदस्य:—

(i) पांच संसद् (तीन लोक सभा से और दो राज्य सभा से)।

(ii) अखिल भारतीय पैट्रोलियम व्यापारिक संघ का एक प्रतिनिधि।

(iii) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल का एक प्रतिनिधि।

(iv) राष्ट्रीय प्रायुक्त आर्थिक अनुसन्धान परिषद का एक प्रतिनिधि।

(v) अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट अभिरुचि वाले विषयों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच व्यक्तियों को मनोनीत किया जाना।

(vi) तीन जनप्रतिनिधि।

4. अध्यक्ष महोदय समिति की बैठकों में भाग लेने अथवा समिति की सहायता करने के लिये किसी दूसरे व्यक्ति/व्यक्तियों को भी विशेष रूप से आमंत्रित कर सकते हैं।

5 सचिवालीय सहायता-

समिति को यथा अपेक्षित सचिवालीय सहायता की व्यवस्था पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के पैट्रोलियम विभाग द्वारा की जायगी।

6. कार्य काल—

गैर-सरकारी सदस्य समिति के गठन की तारीख से एक वर्ष के लिये सदस्य होंगे। गैर-सरकारी सदस्य के कार्यकाल को एक वर्ष से आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

7 कार्य के नियम—

(क) समिति की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी।

(ख) उद्योग की विशिष्ट समस्याओं पर सरकार को परामर्श देने के लिये अध्यक्ष महोदय किसी भी उप-समिति का गठन कर सकते हैं।

(ग) श्रम नीतियां और कार्मिक समस्यायें समिति के विचारणीय विषय के बाहर हैं।

(घ) यह समिति पैट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति के कार्यकरण से बिना किसी भेदभाव के काम करेगी।

(ङ) समिति की सिफारिशों का स्वरूप नितान्त रूप से परामर्शी होगा।

8 यात्रा भत्ते—

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये गैर-सरकारी सदस्यों को सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा और दैनिक भत्तों की अदायगी की जायेगी।

आदेश

आदेश है कि संकल्प की प्रतियां सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेज दी जायें।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

बी० बी० बोहरा, सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 1978

संशोधन

विषय:—भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड 1 में 11-2-1978 को समाप्त होने वाले सप्ताह में अंग्रेजी भाग्य के पृष्ठ सं० 152-153 तथा हिन्दी भाग्य के पृष्ठ सं० 149 पर प्रकाशित संकल्प सं० 22/1/77-एल० डी० टी० दिनांक 16-1-1978

सं० 22-1/77-एल० डी० टी०—भारत सरकार ने इस मंत्रालय के उक्त संकल्प के क्रम में उपर्युक्त राजपत्र की अधिसूचना को निम्नलिखित रूप से संशोधित करने का निर्णय किया है :—

(1) क्रम सं० 10—कृषि गोसेवा समिति, नई दिल्ली के प्रतिनिधि का गोसंवर्धन सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नामांकन समाप्त हो गया है। उनके स्थान पर सर्व सेवा संघ, गोपुरी, वर्धा का एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

(2) क्रम सं० 10 में उल्लिखित सदस्य को छोड़कर, जिसकी स्थिति उपर्युक्त पैरा (1) में स्पष्ट की गई है, निम्नलिखित संस्थाओं में से प्रत्येक के एक एक नामित प्रतिनिधि, वर्तमान सदस्यों के अतिरिक्त परिषद के सदस्य होंगे:—

(क) अखिल भारतीय गो संरक्षण परिषद, करोलबाग, नई दिल्ली।

(ख) श्री मानस किंकर सन्त कौशल दास जी महाराज, मार्फत पंजाबी भगवान आश्रम, चित्रकूट, जिला सतना (मध्य प्रदेश)।

(ग) राजस्थान गो सेवा संघ, रानी बाजार, बीकानेर।

(घ) पश्चिम बंग कृषि गौसेवा संघ, कलकत्ता।

(ङ) कर्नाटक दक्षिण भारत कृषि गौसेवा संघ, बंगलौर।

आदेश

1. आदेश दिया जाता है कि संशोधन की एक एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के विभागों व मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री के कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय और अन्य संबंधित संगठनों को भेज दी जाये।

2 यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संशोधन को सामान्य जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

अशा आर० मल्होत्रा, अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल 1978

संकल्प

सं० 50-1/77-सी० ए०-1—भारत सरकार ने इसी संख्या के 19 अक्तूबर, 1977 के संकल्प के अन्तर्गत गठित भारतीय आलू विकास परिषद में मेघालय सरकार के कृषि विभाग को प्रतिनिधित्व देने का निर्णय किया है। अतः उपर्युक्त संकल्प में निम्नलिखित को जोड़ा जाये:—

"3(ख)(11) पश्चिम बंगाल के पश्चात् "13 मेघालय" को जोड़ा जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के एक एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रीमंण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

2 यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिये यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

ए० दास, अपर सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 1978

संकल्प

सं० एफ० 1-30/78-यू०-5—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण के सम्बन्ध में अपनी तेहतरवीं रिपोर्ट में लोक सभा की लोक लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने,

कई राज्यों में विश्वविद्यालयों और कालेजों की 3.22 करोड़ रुपये की लागत की दो सौ से अधिक भवन परियोजनाओं के दिल्ली स्थित दो वास्तुक फर्मों द्वारा हस्तकरण की परिस्थितियों की जांच पड़ताल करने तथा इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी अधिकारी के गुप्त गठयोग देते रहने का पता लगाने के लिये, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता (सतर्कता) श्री एन० डी० राजन को एक एक-सदस्यीय समिति के रूप में नियुक्त करने का निर्णय किया है। यह जांच समिति अपने निष्कर्ष एवं सिफारिशें जांच आरम्भ करने के दो महीने की अवधि के अन्दर दे देगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाये:—

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
2. सचिव, निर्माण एवं आवास मंत्रालय, नई दिल्ली को श्री एन० एस० एल० राव के पत्र सं० 167/78/एस०/जे० एस० (ए०) दिनांक 24-4-78 के सन्दर्भ में।
3. श्री एन० डी० राजन, मुख्य अभियन्ता (सतर्कता), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापाल, नई दिल्ली।
5. लोक सभा सचिवालय (ला ले० ग० शाखा), नई दिल्ली।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाये।

सोम नाथ पंडित, संयुक्त सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1978

संकल्प

सं० एन०-13016/4/77-पी० एस०—इस समय देश में ग्रामीण आवास के 7 स्कन्ध हैं जो बंगलौर, चण्डीगढ़, हावड़ा, दिल्ली, वल्लभ विद्यानगर, जोधपुर तथा श्रीनगर में स्थित हैं। इसी प्रकार के ग्रामीण आवास स्कन्ध देश के विभिन्न भागों में स्थापित करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन रहा है अब यह निर्णय किया गया है कि त्रिवेन्द्रम में ग्रामीण आवास स्कन्ध तुरन्त स्थापित किया जाये।

2. ग्रामीण आवास स्कन्ध राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के नियंत्रण तथा निर्देशन में कार्य करेगा और यह संगठन उसे वार्षिक सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देगा। इस ग्रामीण आवास स्कन्ध को प्रथम वर्ष में अर्थात 1977-78 में इस प्रकार वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है:—

	रुपये
(1) अनावर्ती	
परिवहन (डीजल इंजिन की जीप) संयंत्र तथा फर्नीचर आदि	60,000
(2) आवर्ती	
कर्मचारीगण (केवल 2 मास के लिये) आकस्मिक व्यय	7,000
(पैट्रोल, लेखन सामग्री, यात्रा भत्ता आदि)	3,000
कुल	70,000

ग्रामीण आवास स्कन्ध के कार्य निम्नलिखित होंगे:—

(1) स्थानीय भवन निर्माण सामग्री के प्रयोग और उस पर अनुसन्धान को बढ़ावा देना, ग्रामीण मकानों के नक्शे और निर्माण की तकनीकियों को प्रोत्साहन देना।

(2) परिष्कृत भवन सामग्री तथा तकनीक के प्रयोग को प्रोत्साहन देना।

(3) कुछ चुनिन्दे ग्रामों में पर्यावरणीय सुधार के साथ प्रदर्शन मकानों के समूह का निर्माण करना।

(4) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत परियोजना के निष्पादनार्थ नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण व ट्रेनिंग देना।

(5) ग्रामीण आवास से संबंधित समय समय पर सुझाये गये किसी अन्य कार्यक्रम को करना।

3. ग्रामीण आवास स्कन्ध त्रिवेन्द्रम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज त्रिवेन्द्रम में स्थित होगा।

4. इस स्कन्ध का प्रधान एक निदेशक (अंश कालीन आधार पर) होगा जिसकी सहायता सामान्यतः एक प्रभारी अधिकारी, वास्तुक व नगर आयोजक, सिविल इंजीनियर, समाज अर्थशास्त्री चालक तथा अन्य सहायक स्टाफ करेगा। इस स्कन्ध के कर्मचारियों पर उसी संस्थान की सेवा शर्तें लागू होंगी जिस संस्थान से यह स्कन्ध संबंधित होगा।

5. स्कन्ध को अपने कार्यक्रमों में सहायतार्थ एवं सलाह देने के लिये स्कन्ध की अपनी एक क्षेत्रीय सलाहकार समिति होगी। इस कमेटी के गठनात्मक स्वरूप का निर्णय राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाये:—

1. निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (25 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. सचिव, योजना आयोग, नई दिल्ली।
3. प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज, त्रिवेन्द्रम।
4. मुख्य सचिव, केरल सरकार, सचिवालय, त्रिवेन्द्रम।

के० सी० पाण्डेय, संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 1978

संकल्प

सं० डी० जी० ई० टी०-3(4)/78-टी० सी०—विभिन्न प्रतिष्ठानों के शिक्षुओं तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण की कोटि को सुधारने की आवश्यकता पर 26 नवम्बर, 1976 को नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय शिक्षुता परिषद की 14 वीं बैठक में विचार विमर्श किया गया था। परिषद ने यह महसूस किया कि इस मामले पर गहन अध्ययन करना अपेक्षित है और अध्यक्ष को विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के लिये प्राधिकृत किया। बाद में राष्ट्रीय वृत्तिक व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद ने 15 फरवरी, 1977 को हुई अपनी 16वीं बैठक में इस को स्वीकार किया। इसलिये सरकार ने इस मामले की जांच करने तथा उपयुक्त उपचारी उपाय सुझाने के लिये एक समिति गठित करने का निर्णय किया है।

2. इस समिति का गठन निम्न प्रकार होगा:—

अध्यक्ष

श्री एस० ए० कादिर, भूतपूर्व महानिदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन विशेषज्ञ (सेवा निवृत्त)

सदस्य

1. श्री बी० जी० वार्ष्णेय मुख्य प्रशिक्षण एवं जनशक्ति सलाहकार, भारतीय उर्वरक निगम, नई दिल्ली।

2. श्री एम० एस० एस० करवल,
जनरल ओ० डी० मैनेजर, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर।

3. एसोसियेशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, 172, जोर बाग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि।

4. प्रो० जी० एस० काडू,
निदेशक, तकनीकी शिक्षा, महाराष्ट्र, बम्बई।

5. श्री एस० एन० गोयल,
निदेशक, तकनीकी शिक्षा,
राजस्थान, जोधपुर।

6. शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) का एक प्रतिनिधि।

7. विकास आयुक्त, लघु उद्योग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि।

8. खादी और ग्राम उद्योग आयोग का एक प्रतिनिधि।

9. कृषि और सिंचाई मंत्रालय (ग्राम विकास विभाग) का एक प्रतिनिधि।

सदस्य सचिव

10. श्री पी० एस० प्रेम
अपर निदेशक, प्रशिक्षण,
श्रम मंत्रालय (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

3. समिति के विचारार्थ विषयों में मुख्यतया निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:—

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की कोटि को सुधारने के लिये उपाय और साधनों की सिफारिश करना।

(ख) प्रतिष्ठानों में शिक्षुओं के प्रशिक्षण की कोटि को सुधारने के लिये उपयुक्त स्टार्फिंग पैटर्न की सिफारिश करना।

समिति के विचारार्थ विषयों के ब्यौरे निम्न प्रकार होंगे:—

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की कोटि को सुधारना।

वर्तमान व्यवस्थाओं का पुनरीक्षण करना तथा निम्नलिखित के विशेष सन्दर्भ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की कोटि को सुधारने के लिये उपाय और साधनों की सिफारिश करना:—

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिये संगठनात्मक और प्रशासनिक संरचना।

(2) व्यवसाय-परीक्षण और प्रमाणन की वर्तमान पद्धति।

(3) वित्तीय प्रबन्ध।

(4) मशीनरी और उपकरणों के प्रतिस्थापन के बारे में मानदण्ड।

(5) व्यवसायों की पुनरीक्षा, प्रशिक्षण की अवधि और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों के लिये प्रवेश योग्यतायें।

(6) केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षण की सफलता की पुनरीक्षा।

(7) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कुल कार्य घंटों और कौशल विकास में उसके वितरण का पुनरीक्षण संबंधित अनुदेश और अन्य विषय।

(ख) शिक्षुता प्रशिक्षण के स्तर में सुधार

(1) वर्तमान स्थिति की पुनरीक्षा करना और प्रतिष्ठानों के शिक्षुओं के प्रशिक्षण के स्तर में सुधार करने के लिये उपयुक्त स्टार्फिंग पैटर्न की सिफारिश करना।

(2) शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के संगठन, विस्तार और कार्यकरण की जांच करना;

(क) विनिर्दिष्ट उद्योगों, सामोदिष्ठ व्यवसायों, मौलिक प्रशिक्षण देने के वर्तमान प्रबन्धों, शाप फ्लौर प्रशिक्षण संबंधित अनुदेशों और इन से संबंधित अन्य कारकों का विशेष ध्यान रखते हुए और इस बात का निर्धारण करना कि आपात स्थिति के दौरान योजना के असाधारण विस्तार ने शिक्षुता प्रशिक्षण के स्तर को किस हद तक प्रभावित किया है; और

(ख) इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न व्यवसायों में कुशल शिल्पकारों के बारे में उद्योग की दीर्घकालीन और बढ़ती हुई आवश्यकताओं के साथ साथ प्रशिक्षित शिक्षुओं की संख्या और नियमित रोजगार में उनकी खपत की संभावनाओं में साम्य बनाये रखा जाना चाहिये, और उपचारी उपायों की सिफारिश करना।

(3) उपयुक्त मंत्रावली का सुझाव देना:—

(क) विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों में कुशल शिल्पकारों की राष्ट्रीय मांग को ध्यान में रखते हुए शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन अधिसूचित किये जाने वाले उद्योगों और व्यवसायों और इस प्रकार की मांग के निर्धारण के तरीकों के बारे में निश्चय करने के लिये और

(ख) उपर्युक्त (2), (क) को ध्यान में रखते हुए वर्तमान उद्योगों और व्यवसायों का पुनरीक्षण करने के लिये।

(4) सुधार की कार्रवाई करवाने और ठोस आधुनिक आधार पर शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के विस्तार को बढ़ावा देने के लिये कुछ आन्तरिक एजेंसी या एजेंसियों का सुझाव देना।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करने और ऐसे क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों के कौशल को ऊंचा उठाने के लिये शिक्षुता प्रशिक्षण और औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, दोनों का पुनर्विन्यास करने के लिये भी समिति अध्ययन करेगी और उपाय सुझायेगा समिति महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखेगी।

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

5. समिति से अनुरोध है कि वे अपनी रिपोर्ट चार मास की अवधि के भीतर पेश कर दे।

6. समिति अपनी कार्य-विधि स्वयं निर्धारित करेगी। समिति अपने कृत्यों में सहायता प्राप्त करने के लिये व्यक्तियों को सहयोजित कर सकती है। समिति ऐसी सूचना मंगवा सकती है और ऐसी गवाही ले सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग समिति द्वारा यथाअपेक्षित सूचना, सामग्री तथा दस्तावेज और सहायता प्रदान करेंगे।

भारत सरकार का यह विश्वास है कि राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र प्रतिष्ठान, नियोजक और श्रमिक संगठन और सभी अन्य संबंधित संघ और संस्थान समिति को अपना पूर्ण सहयोग तथा सहायता प्रदान करेंगे।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और अन्य संबंधितों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिये संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

गुलाम हुसैन, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक
तथा संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS)

RULES

New Delhi, the 20th May 1978

No. 12/2/78-C.S.(II).—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for Grade C of the Central Secretariat Stenographers Service, Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B), and Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers service to be held by the Staff Selection Commission and Grade 'C' of the Railway Board Sectt. Stenographers' Service in 1978 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of the vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Caste/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order; 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories) Order, 1951 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1971, and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 and the SC and ST Orders (Amendment) Act, 1976.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in Appendix to these Rules.

The date on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Conditions of eligibility.—Any permanent or temporary regularly appointed officer, belonging to Grade D or Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Sub-Cadre of the Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers Service Railway Board Sectt. Stenographers' Service who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination and compete for vacancies in his service only i.e. Grade D Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Service will be eligible for vacancies in Grade C of the Service, Grade III Stenographers of the Stenographers' Sub-Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be eligible for vacancies in Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre of the Indian Foreign Service (B) and the Grade D Stenographers of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service will be eligible for vacancies in Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and the Grade D Stenographers of the Railway Board Sectt. Stenographers Service will be eligible for vacancies Grade 'C' of the Railway Board Sectt. Stenographers Service.

(a) *Length of service.*—He should have, on the crucial date, i.e. on 1-1-1977 rendered not less than three years' approved and continuous service in Grade D or Grade III of the Service.

Note.—Grade D officers who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority, and those having a lien in Grade D or Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Sub-Cadre of the Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters' Stenographers' Service/Railway Board Sectt. Stenographers Service will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

Provided that if he had been appointed to Grade 'D' of the Central Secretariat Stenographers Service/Grade 'D' of the Armed Forces Headquarters Stenographers Service/Grade III of the Stenographers' Sub-cadre of the Indian Foreign Service (B)/Grade 'D' of the Railway Board Sectt. Stenographers Service, on the results of the competitive examination, including a limited departmental competitive examination, the results of such examination should have been announced not less than three years before the crucial date and he should have rendered not less than two years' approved and continuous service in the Grade.

(b) *Age.*—He should not be more than 50 years of age on the 1st January, 1978 i.e. he must not have been born earlier than 2nd January, 1928.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has mirgated to India on or after 1st January, 1964 (But before 25th March 1971);

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 (but before, 25th March, 1971);

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(viii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(x) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a Disturbed area, and released as a consequence thereof, and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof; and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes; and

(xiii) upto a maximum of three years if the candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India, not earlier than July, 1975.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

(d) *Stenography Test.*—Unless exempted from passing the Commission's Stenography Test for the purpose of confirmation or continuance in Grade D/Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)/Railway Board, Secretariat Stenographers' Service/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service he should have passed the Test on or before the date of Notification of this examination.

NOTE.—Grade D or Grade III Stenographers who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority and those having a lien in Grade D/Grade III of the Service will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

This, however, does not apply to a Grade D/Grade III Stenographer who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on "transfer" and does not have a lien in Grade D/Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers Service/Railway Board Secretariat Stenographers Service.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the commission.

7. Candidates must pay the fee prescribed in para 5 of the Commission's Notice.

8. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

9. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission, in four separate lists, in the order of merit, as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified in the examination shall be recommended for inclusion in the Select List of Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service, Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B), Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers Service up to the required number.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may to the extent the number of vacancies in the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers Service reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for inclusion in the Select List of Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for Grade C/Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B) and Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of performance in this examination as a matter of right.

10. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

11. Success in the examination confers no right to selection unless the cadre authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection.

12. A candidate, who after applying for admission to the examination or after appearing at it resigns his appointment in the Central Secretariat Stenographers' Service or Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B) or Armed Forces Headquarters Stenographers' Service or Railway Board Secretariat Stenographers Service or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on "transfer" and does not have a lien in Grade D of the Central Secretariat Stenographers' Service or Grade III of Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B) or Grade D of Armed Forces Headquarters Stenographers' Service or Railway Secretariat Stenographers Service will not be eligible for appointment on the results of this Examination.

This however, does not apply to a Grade D/Grade III Stenographer who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

K. B. NAIR,
Under Secretary.

APPENDIX

The subjects of the written examination and the maximum marks for each subject will be as follows :—

PART A—WRITEN TEST

Subject	Time allowed	Maximum marks
(i) General English	1½ hours	50
(ii) Essay	1½ hours	50
(iii) General Knowledge	3 hours	100

Part B.—SHORTHAND TEST IN HINDI OR IN ENGLISH (FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST). 200 Marks.

NOTE.—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

Part C.—Evaluation of record of service of such of the candidates as may be decided by the Commission in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The syllabus for the Written Test and the scheme of the Shorthand Tests will be as shown in the Schedule to this Appendix.

3. Candidates are allowed the option to answer the papers (ii) Essay, and (iii) General Knowledge, either in Hindi or in English and the medium opted (i.e. Hindi or English) should be the same for both the papers mentioned above. Candidates who opt to answer both these papers in Hindi will be required to take the shorthand tests also in Hindi and those who opt to take them in English will be required to take the shorthand tests also in English. Paper (i) General English must be answered by all the candidates in English.

NOTE 1.—Candidates desirous of exercising the option to answer papers on (ii) Essay and (iii) General Knowledge, of the Written test and take Shorthand tests in Hindi (Devnagari), should indicate, their intention to do so in Col. 6 of the application form otherwise it will be assumed that they will take the Written Test and Shorthand Test in English.

The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said column shall be ordinarily entertained.

NOTE 2.—Candidates who opt to take the shorthand test in Hindi will be required to learn English stenography, and *vice versa* after their appointment.

NOTE 3.—A candidate wishing to take the examination at an Indian Mission abroad and exercising the option to answer papers on (ii) Essay and (iii) General Knowledge and take the Stenography Tests in Hindi in terms of para 3 above, may be required to appear at his own expense, for the Stenography Tests at any Indian Mission abroad where necessary arrangements for holding such tests are available.

NOTE 4.—No credit will be given for answer written or Shorthand test taken in a language other than the one opted by the candidate.

4. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dictation at 100 words per minute, persons in each group being arranged *inter se* in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (cf. Part B of the Schedule below).

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

7. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written rest as may be fixed by the Commission in their discretion will be called for shorthand test.

8. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

9. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

10. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

PART—A

Standard and syllabus of the written test

NOTE.—The standard of the question papers in Part A will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

General English.—The paper will be designed to test the candidate's knowledge of English Grammar and Composition, and generally their power to understand and ability to write correct English. Account will be taken of arrangement of general expression and workmanlike use of the language. The paper may include question on precis writing, drafting, correct use of words, essay, idioms and prepositions, direct and indirect speech, etc.

Essay.—An essay to be written on one of the several specified subjects.

General Knowledge.—Some knowledge of the Constitution of India, Five Year Plans, Indian History and Culture, General and Economic Geography of India, current events, everyday science and such matters of every day observations as may be expected of an educated person. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the question and not detailed knowledge of any text book.

PART—B

Scheme of Shorthand Tests

The Shorthand Tests in English will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for ten minutes which the candidates will be required to transcribe in 45 and 50 minutes respectively.

The Shorthand Tests in Hindi, will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for 10 minutes which the candidates will be required to transcribe in 60 and 65 minutes respectively.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 20th April 1978

F.No. DCG/AIHFM/77.—In this Ministry's Notification No. DCH/AIHFM/77 dated the 6th December, 1977, it was stated that the Committee set up to study the present working of the All India Handloom Fabric Marketing Cooperative Society Ltd., Bombay under the Chairmanship of Shri K. Narayanan, Joint Secretary, Ministry of Civil Supplies & Cooperation will submit its report by 31st March, 1978.

It has since been decided to extend the term of the Committee upto 30th June, 1978.

DAULAT RAM, Deputy Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF PETROLEUM)

New Delhi, the 28th April 1978

RESOLUTION

No. Q-30021/8/78-Dist.—Government of India have decided to constitute a Committee, as under, to advise on the "Supply and Distribution of Petroleum Products".

2. *FUNCTIONS* :

(i) To review the general availability of Petroleum Products.

(ii) To review the arrangements for the distribution of petroleum products, and the policy regarding coordinated expansion of the marketing network of the oil companies.

(iii) To consider the safeguards against malpractices and adulteration of petroleum products.

(iv) To examine the basic aspects connected with conservation and more efficient use of petroleum products, and curbing of inessential consumption.

3. *COMPOSITION* :

(a) *Chairman* :

Minister, Petroleum, Chemicals and Fertilizers.

(b) *Official Members* :

(i) Secretary, Department of Petroleum.
(ii) Member (Traffic), Railway Board.
(iii) Secretary, Planning Commission.
(iv) Secretary, Ministry of Shipping and Transport.

(v) Secretary, Department of Civil Supplies.

(vi) Secretary, Technical Development.

(c) *Non-official Members* :

(i) Five Members of Parliament (Three from Lok Sabha and two from Rajya Sabha).

(ii) One representative of the Federation of All India Petroleum Traders.

(iii) One representative of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries.

(iv) One representative of National Council of Applied Economic Research.

(v) Five persons representing special interests to be nominated by the Chairman.

(vi) Three Public Men.

4. The Chairman may also specially invite any other person/persons to attend the meetings of the Committee or to assist the Committee.

5. *SECRETARIAT ASSISTANCE* :

Secretariat assistance, as may be required by the Committee, will be provided by the Department of Petroleum, Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers.

6. *TENURE* :

The non-official members will hold office for one year from the date of the constitution of the Committee. The term of a non-official member may be extended beyond one year.

7. *RULES OF BUSINESS* :

(a) The Committee will meet at least twice in a year.

(b) The Chairman may constitute sub-Committees to advise the Government on specific problems of the industry.

(c) Labour policies and personnel problems are outside the terms of reference of the Committee.

(d) The Committee will function without prejudice to the functioning of the Consultative Committee of Parliament for the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers.

(e) The recommendations of the Committee will be purely advisory in character.

8. *TRAVELLING ALLOWANCES* :

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Committee at the rates fixed by Government from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. B. VOHRA, Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 26th April 1978

AMENDMENT

SUBJECT : *Resolution No.* 22-1/77-*LDT dated* 16-1-78, *published in the Gazette of India, Part-I, Section 1 at pages No.* 152 & 153 (*English*) *and* 149 (*Hindi*) *of week ending* 11-2-1978.

No. 22-1/77-LDT.—In continuation of this Ministry's aforesaid resolution, the Government of India have decided to amend the above-mentioned Gazette Notifications as follows :

(i) *S. No.* 10 : Nomination of a representative of Krishi Goseva Samiti, New Delhi as Member of Gosamvardhana Advisory Council stands deleted. In its place, a representative of Sarva Seva Sangh, Gopuri, Vardha is nominated as a Member.

(ii) One nominated representative each from the following Institutions would be a Member of the Council in addition to existing members, except the one mentioned at S. No. 10, position regarding which has been explained *vide* Para (i) above) :—

(a) Akhil Bharatiya Gau Sanrakshan Parishad, Karol Bagh, New Delhi.

(b) Shri Manas Kinkar Sant Kaushal Das Ji Maharaj, C/O Punjabi Bhagwan Ashram, Chitrakut, Distt. Satna (M.P.);

(c) Rajasthan Go Sewa Sangh, Rani Bazar, Bikaner.

(d) Pashchim Baag Krishi Goseva Sangh, Calcutta.

(e) Karnataka Dakshin Bharat Krishi Goseva Sangh, Bangalore.

ORDER

1. Ordered that a copy of the amendment be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and the Departments of Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat, and other concerned organisations.

2. Ordered also that the amendment be published in the Gazette of India for general information.

ANNA. R. MALHOTRA, Addl. Secy.

New Delhi, the 29th April 1978

RESOLUTION

No. 50-1/77-CAI.—The Government of India have decided to give representation to the Government of Meghalaya, Department of Agriculture, on the Indian Potato Development Council set up under Resolution of even number dated the 19th October, 1977. The following addition may, accordingly, be made in the aforesaid Resolution :—

Add "(xii) Meghalaya" after "III(B)(xi) West Bengal"

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats, Prime Minister's office and Cabinet Secretariat.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. DAS, Addl. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 25th April 1978

RESOLUTION

No. F.1-30/78-U.5.—In pursuance of the recommendation made by the Public Accounts Committee of the Lok Sabha in its Seventy-Third Report on the working of the University Grants Commission, the Government of India have decided to appoint Shri N. D. Rajan, Chief Engineer (Vigilance), Central Public Works Department, New Delhi as a one-man Committee to enquire into the circumstances leading to cornering of over two hundred building projects, costing Rs. 3.22 crores, in universities and colleges in several States by two Delhi-based firms of architects and to determine if there has been any connivance on the part of any officials of the University Grants Commission. The Enquiry Committee will give its findings and recommendations within a period of two months from the commencement of the enquiry.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to :—

1. The Secretary, University Grants Commission, New Delhi.

2. The Secretary, Ministry of Works & Housing, New Delhi with reference to Shri N. S. L. Rao's letter No. 167/78/S/JS(A) dated 24-4-1978.

3. Shri N. D. Rajan, Chief Engineer (Vigilance), Central Public Works Department, New Delhi.

4. The Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.

5. The Lok Sabha Secretariat (PAC Branch), New Delhi.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. PANDITA, Jt. Secy.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 31st March 1978

RESOLUTION

No. N-13016/4/77-PS.—At present there are seven Rural Housing Wings in the country situated at Bangalore, Chandigarh, Howrah, Delhi, Vallabh Vidyanagar, Jodhpur and Srinagar. The Government of India have been considering for some time the question of setting up more such rural housing wings in different parts of the country. It has been decided to establish, with immediate effect a Rural Housing Wing at Trivandrum.

2. The Rural Housing Wing will function under the control and direction of National Buildings Organisation, who will provide the Wing financial assistance in the form of yearly grant-in-aid. The financial assistance proposed to be given to Rural Housing Wing for the fist year *viz.* 1977-78 is given as under :—

(i) *Non-Recurring* :	
Jeep (with diesel engine) Drawing Equipment and furniture, etc.	Rs. 60,000.00
(ii) *Recurring* :	
Staff (for two months only)	Rs. 7,000.00
Contingencies (Petrol, Stationery T.A. etc.)	Rs. 3,000.00
Total	Rs. 70,000.00

The functions of the Rural Housing Wing will be :—

(i) To promote research and use of local building materials, construction techniques and designing of villagee houses.

(ii) To propagate the use of improved materials and techniques.

(iii) To construct a cluster of demonstration houses along with environmental improvement in selected villages.

(iv) To train and orient the technical personnel employed on planning and execution of projects under the village housing project scheme.

(v) To carry out any other activity connected with rural housing as may be decided from time to time.

3. The Rural Housing Wing will be situated in the Government Engineering College, Trivandrum.

4. The Wing will be headed by a director (on part-time basis) who will generally be assisted by an Officer-in-Charge, an Architect-cum-Town Planner, Civil Engineer, Socio-Economist, Driver and other supporting staff. The staff of the Wing will be governed by the service conditions applicable to the institution to which it is attached.

5. There will be a Regional Advisory Committee for the Wing to aid and advise the Wing in its programmes. The composition to the Advisory Committee will be decided by the NBO.

ORDER

Ordered that copy of the resolution be communicated to :—

1. Director, N.B.O. (25 spare copies).

2. Secretary, Planning Commission, New Delhi.

3. Principal, Government Engineering College, Trivandrum, Kerala.

4. Chief Secretary to the Government of Kerala, Sachivalaya, Trivandrum.

K. C. PANDEYA, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi-110001, the 25th April 1978

RESOLUTION

No. DGET-3(4)/78-TC.—The need for improving the quality of training imparted to the apprentices in various establishments and also to the trainees in Industrial Training Institutes was discussed in the 14th meeting of the Central Apprenticeship Council held at New Delhi on 26th November, 1976. The Council felt that the matter required study in greater depth and authorised the Chairman to constitute a Committee of experts for the purpose. This was subsequently agreed to by the National Council for Training in Vocational Trades at its 16th meeting held on 15th February, 1977. The Government have, therefore, decided to set up a Commtitee to go into the matter and to suggest suitable remedial measures.

2. The Committee will have the following composition :—

Chairman

Shri S. A. Qadir, Ex-Director-General of Employment & Training and ILO Expert (Retired).

Members

(1) Shri B. G. Varshney, Chief Training & Manpower Adviser, Fertiliser Corporation of India, New Delhi.

(2) Shri M. S. S. Varadan, General O. D. Manager, Hindustan Machine Tools Limited, Bangalore.

(3) A representative of the Association of Indian Engineering Industry, 172, Jor Bagh, New Delhi.

(4) Prof. G. S. Kadu, Director, Technical Education, Maharashtra, Bombay.

(5) Shri S. N. Kadu, Director, Technical Education, Rajasthan, Jodhpur.

(6) A representative of the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Education).

(7) A representative of the Development Commissioner, Small-Scale Industries, New Delhi.

(8) A representative of Khadi and Village Industries Commission.

(9) A representative of the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Rural Development)

Member Secretary

(10) Shri P. S. Prem, Additional Director of Training, Ministry of Labour, (D.G.E.&T.)

3. The terms of reference of the Committee will broadly include the following :—

(A) to recommend ways and means to improve the quality of training in the Industrial Institutes.

(B) to recommend suitable staffing pattern for improving the quality of training of apprentices in the establishments.

The details of terms of reference of the Committee would be as follows :—

(A) *Improvement of quality of training, in Industrial Tralning Institutes.*

To review the existing arrangement and to recommend ways and means of improving the quality of training in the Industrial Training Institutes with particular reference to the following.

(1) Organisational and administrative structure to conduct training programmes in the Industrial Training Institutes.

(2) Present system of trade-testing and certification.

(3) Financial arrangements.

(4) Norms for the replacement of machinery and equipments.

(5) Review of trades, period of training and admission qualifications of the Industrial Training Institutes trainees.

(6) Review of Instructors Training Programme and effectiveness of training in Central Training Institutes.

(7) Review of total working hours in the Industrial Training Institutes and distribution of the same in skill development, related instructions and other subjects.

(B) *Improvement of quality of Apprenticeship Training* :

(1) To review the existing position and to recommend suitable staffing pattern for improving the quality of training of apprentices in the establishments.

(2) To examine the organisation, growth and the working of the apprenticeship training scheme :

(a) with special reference to the industries specified, trades designated, existing arrangements for imparting Basic Training, Shop-Floor Training, Related Instruction and other factors relating thereto and assess the extent to which the phenomenal expansion of the Scheme during the period of Emergency affected the quality of the Apprenticeship Training, and

(b) in the light of the recruitments that parity should be maintained between the number of apprentices trained and the possibilities of their absorption in regular employment vis-a-vis the sustained and growing needs of the industry for skilled craftsmen in different trades, and recommend remedial measures.

(3) To suggest a suitable mechanism :—

(a) for determining the industries and trades to be notified under the Apprenticeship Act, 1961, having regard to the national demand for skilled craftsmen in various industries and trades and the method of assessing such demand; and

(b) for review of existing industries and trades in the light of (2) (a) above.

(4) To suggest some in-built agency or agencies for securing corrective action as well as furthering the growth of Apprenticeship Training Scheme on sound modern lines.

The Committee will also study and recommend measures for re-orienting both the Apprenticeship Training and Industrial Training Programmes to subserve the needs of the rural areas of the country and for upgrading of skills among persons coming from such areas. It will also keep in view the special needs for training of women, and physically handicapped persons.

4. The Headquarters of the Committee will be located at New Delhi.

5. The Committee is requested to submit its report within a period of four months.

6. The Committee will devise its own procedure. It can co-opt persons to assist in its functions. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. The Ministries/Departments of the Government of India will furnish such information, material and documents and render such assistance as may be required by the Committee.

7. The Government of India trust that the State Governments/Union Territory Administrations, Public and Private Sector Undertakings, organisations of employers and workers and all other concerned organisations, associations and institutions will extend to the Committee their full co-operation and assistance.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Union Territory Administrations and other concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

GHULAM HUSSAIN
Director-General of Employment &
Training and Joint Secretary.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978